(32)

न्यायालय राजस्व मंडल मध्य प्रदेश केंन्द्र ग्वालियर

निगरानी-3332/2018/मंदसौर/भू.रा. प्र0क0 ..../2017.18 निगरानी

1.प्यार चंद पिता किशनलाल लुहार आयु–70 वर्ष,

2.प्रकाश पिता प्यार चंद लुहार आयु– 45 वर्ष,

3.धापूबाई पति प्रकाश लुहार आयु–40 वर्ष,

4.राकेश पिता प्रकाश लुहार आयु–21 वर्ष,

सभी निवासीगण ग्राम बोरखेड़ी चारण तहसील मल्हारगढ जिला मन्दसौर

..................आवेदकगण / पुनरीक्षणकर्तागण

श्री मुकेश भार्गव अभि0
द्वारा आज दि0 30.5.18
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 5.6.18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

मुकेश भार्गव
30.5.18 एडवोकेट
ग्वालियर

विरूद्ध

1.(अ) कारूलाल पिता रामलाल जी डांगी आयु– 45 वर्ष,

(ब) नारायण सिंह पिता मगनीराम डांगी आयु– 30 वर्ष,

2.गणपत पिता भग्गा जी डांगी आयु– 60 वर्ष,

3.राधेश्याम पिता गणपत जी डांगी आयु –35 वर्ष,

4. गीताबाई पति उदयराम डांगी आयु–60 वर्ष,

5. कारूलाल पिता उदय राम डांगी आयु–25 वर्ष,

सभी निवासीगण ग्राम बोरखेड़ी चारण तहसील मल्हाहरगढ जिला मन्दसौर

..............अनावेदकगण / प्रत्यार्थीगण

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 भू.रा.सं.।

पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय मल्हारगढ तहसील मल्हारगढ जिला मन्दसौर म.प्र. (पीठासीन अधिकारी श्री संतोष घाटिया) के न्यायालयीन प्रकरण कमांक 01/अ–13/2017.18 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 24.05.2018 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत है।

(3)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3332/2018/मंदसौर/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04.10.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20-12-18 को कलेक्टर, जिला मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों। प्रशासकीय सदस्य	